

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 79/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री दुलीराम वर्मा - विक्रेता एवं मालिक--
मै० रामचन्द्र , राजेश कुमार , पेट्रोल पम्प के पास, रेतवाला, तहसील पदमपुर जिला
श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/58

निर्णय

दिनांक : 15.09.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्ता (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:- आयुक्ता०/खारसुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.02.2022 को दोपहर पूर्व 11.00 ए. एम को मै० रामचन्द्र राजेश कुमार, पेट्रोल पम्प के पास, रेतवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता एवं मालिक रामचन्द्र पुत्र दुलीराम को अपना परिवय देकर दुकान पर रखे सरसों तेल (खुला) के बारे में जानकारी वाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान में स्टील की टंकी में रखे लगभग 10 लीटर सरसों तेल (खुला) को आमजन के विक्रय वारते होना बताया। सरसों तेल (खुला) में गिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते सरसों तेल (खुला) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिरा पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे रामचन्द्र पुत्र श्री दुलीराम वर्मा एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व राही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म रो 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक रामचन्द्र पुत्र श्री दुलीराम वर्मा को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रास्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध सरसों तेल (खुला) 1 लीटर 600 एमएल विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कथशुदा सरसों तेल (खुला) का नमूदा मुगलान 160/ रूपय किया तथा केशमीगो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और गेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीगो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सरसों तेल (खुला) 1 लीटर 600 एमएल के चार बराबर भागों में बाटकर चार बौतलों में भरकर लिया। 4 बौतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डीओ श्रीगगानगर के कोड व क्रमांक के 1371 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कामज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ श्रीगगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप के-1371 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीच से उपर तक मोलाई में मोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को घाग से बाधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जापो में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोवारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसो रामवन्द पुत्र श्री दुलीराम वर्मा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लमाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक : I.S./256/Act/2022/256 Dated 25-02-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-1371 Contravenes of Regulation Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त रामवन्द पुत्र श्री दुलीराम वर्मा मै0 रामवन्द, राजेश कुमार, पेट्रोल पम्प के पास, रेतवाला, तहरील पदमपुर जिला श्रीगगानगर द्वारा अमानक स्तर सरसों तेल (खुला) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 22.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी गांव रतेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स रामचन्द्र , राजेश कुमार , पेट्रोल पम्प के पास, रतेवाला, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/2744 दिनांक 25.08.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में सरसों तेल खुला की जांच की गई तो सरसों तेल खुला **Contravenes of Regulation Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त सरसों तेल में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया सरसों तेल (खुला) का सैम्पल **K-1371** जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./256/Act/2022/256 Dated 25-02-2022 द्वारा **Contravenes of Regulation Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी गांव रतेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स रामचन्द्र , राजेश कुमार , पेट्रोल पम्प के पास, रतेवाला, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 23/2744 दिनांक 25.08.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में सरसों तेल खुला की जांच की गई तो सरसों तेल खुला **Contravenes of Regulation Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त सरसों तेल में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।


बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Mustard Oil " bearing Code No and Sr. No. K-1371, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Contravenes of Regulation No.2.3.15(1)(b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, Act-2011 as sold in loose condition. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र श्री दुलीराम वर्मा को एफएराएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र श्री दुलीराम वर्मा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत राशि रुपये 8,000-00 (अखरे रुपये आठ हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में रामचन्द्र पुत्र श्री दुलीराम वर्मा खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसी खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार जाखड)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।